रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 511] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 25, 1985/कार्तिक 3, 1907
No. 511] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 1985/KARTIKA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1985

का आ 781(अ) —केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं का. आ 362(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, पैरा 4 में, "छ महीने" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 2-14013/28/84-आई.एस.(यू.एस डी-5)]

मोती लाल कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 1985

S.O. 781(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 362(E) dated the 26th April, 1985, namely :—

In the said notification in paragraph 4, for the words "six months", the words "one year" shall be substituted.

[F. No. II-14013/28/84-IS(US : DV)]

M. L. KOUL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985